राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम, जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारीः– श्री विकास शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 14/2025 प्रा0पत्र

अनवान

सीमा देवी पिता बाबू सिंह जाति रावत उम्र 47 वर्ष निवासी दांता जालपा तहसील भीम जिला राजसमंद।

.... प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार , तहसील भीम जिला राजसमंद

उपस्थिति :– .... अप्रार्थी

01. प्रार्थीया की ओर से अधिवक्ता श्रीमती सुमित्रा चौहान
02. अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांकः– 13/02/2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीया उपस्थित। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीया की ग्राम मेड़िया, पटवार हल्का काछबली, भूअभि. नि. काछबली, तहसील भीम में कृषि भूमि स्थित है जिसके खाता संख्या 47 नया एवं खाता संख्या 48 पुराना विवरण आराजियात आई हुई है जो खसरा संख्या 1140 एवं 1141, 1142, 1174 कुल खसरे 04 कुल रकबा 0.6232 है0 है। उक्त भूमि में प्रार्थीया का नाम सुमित्रा पुत्री बाबू सिंह के स्थान पर सीमा देवी पुत्री बाबू सिंह दर्ज कराने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थीया द्वारा साक्ष्य में शपथ पत्र, जमाबंदी की प्रतिलिपि एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार भीम को मय नकल प्रार्थना पत्र सम्मन जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार रिकॉर्ड में उपरोक्त नाम शुद्धि उचित है तथा इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वकील प्रार्थीया ने बहस में भी प्रार्थना पत्र के बिन्दु दोहराये। हमने प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, प्रस्तुत साक्ष्य, अप्रार्थी के जवाब का अवलोकन किया। उक्त आधार पर खाता संख्या 47 नया एवं खाता संख्या 48 पुराना विवरण आराजियात आई हुई है जो खसरा संख्या 1140 एवं 1141, 1142, 1174 कुल खसरे 04 कुल रकबा 0.6232 है0 भूमि में प्रार्थीया का नाम सीमा देवी पुत्री बाबू सिंह दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार भीम को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 13/2/25 को खुले इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
भीम

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द